

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, सिणधरी

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) केम्प:- आ.सि. डे. खाता महेचान

प्रकरण सं:- 186/2018

क्रमांक:- लो.अदा./2018/1406

दिनांक:- 12-6-18

आदेश

प्रार्थी के खाता दुरुस्ती प्रार्थना पत्र एवं पटवारी जुना मीठा व भू.अ.नि. सिणधरी की रिपोर्ट तथा तहसीलदार/नागव तहसीलदार सिणधरी की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम त्रावगिरी जी का मीठा तहसील सिणधरी व जिला बाड़मेर की जमाबन्दी संवत् 2070-73 में खाता संख्या 50 में वर्तमान को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं:-

क्र. सं.	ग्राम	खाता संख्या	खसरा नम्बर	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1.	<u>त्रावगिरी जी का मीठा</u>	<u>50</u>	<u>454</u>	<u>दीपा पुत्र मोमल</u>	<u>दीपा उर्फ दीपसिंह पुत्र मोमल सिंह</u> <u>शेख बद्रुस्तर</u>

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर सिणधरी
दिनांक:- 12-6-18

क्रमांक:- लो.अदा./2018/1407-1409

प्रतिलिपि:-

1. तहसीलदार सिणधरी को भेजकर लेख है, कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना से रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री दीपा उर्फ दीपसिंह निवासी त्रावगिरी जी का मीठा तहसील सिणधरी को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, सिणधरी